सत्यमेव जयते

**महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड**
**ADJUDICATORY BOARD FOR MAJOR PORTS**
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Ports, Shipping and Waterways,Government of India

आज़ादी का अमृत महोत्सव

**फा.सं. ए-12034/1/2026-प्रशासन [ई-380423]/563** **दिनांक: 26.03.2026**

## परिपत्र

**विषय:- महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड (एबीएमपी) में विशुद्ध रूप से संविदात्मक आधार पर विधि अनुसंधान सहायक (एलआरए) की नियुक्ति - के संबंध में।**

महापत्तन प्राधिकरण एमपीए) अधिनियम , 2021, दिनांक 03.11.2021 से लागू हो गया है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 2021 (2021 का 1) की धारा 54 के उप-धारा (1) और (2) तथा धारा 55 के अनुसरण में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 13 अगस्त, 2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 3647 (एफ.सं. पीडी-24015/60/2021-पीडी-I) के माध्यम से महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन किया है।

2. महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसे महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021' की धारा 58 में सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने का अधिकार प्राप्त है। महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पास वही शक्तियाँ हैं, जो महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021' के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक दीवानी न्यायालय (Civil Court) में निहित होती हैं।

3. भारतीय नागरिकों से, महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड (एबीएमपी) में विधि अनुसंधान सहायक (एलआरए) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदात्मक आधार पर होगी और केवल उन योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जाएँगे जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। एबीएमपी, अहमदाबाद में विधि अनुसंधान सहायक (एलआरए) के पद के लिए एक (01) रिक्ति पद और मुंबई में विधि अनुसंधान सहायक (एलआरए) के पद के लिए दो (02) रिक्ति पदों को भरना चाहता है। जिसका विवरण इस प्रकार हैं:

**(i). नियुक्ति :-**

(क) विधि अनुसंधान सहायक (एलआरए) को एबीएमपी द्वारा पूरी तरह से एक अल्पकालिक संविदात्मक कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा, और उनकी नियुक्ति शुरू में उनके कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। इस अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए (कुल 3 वर्षों तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि उनका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक हो, महापत्तन न्यायनिर्णायिक बोर्ड के सदस्यों की सहमति हो, और नियुक्त करने वाले प्राधिकरण की मंज़ूरी हो।

चौथी मंजिल, भंडार भवन, मुजावर पाखाडी रोड, माझगांव, मुंबई–400010
4th Floor, Bhandar Bhavan, Muzawar Pakhadi Road, Mazgaon, Mumbai-400010.
Tel.:022-23792000, Email : adjudicatoryboard@gmail.com

(ख) यदि एलआरए की सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो दो सप्ताह का नोटिस देकर, एक वर्ष पूरा होने से पहले भी उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

(ग) उम्मीदवार को अपने नियुक्ति आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर, एलआरए के अपने कार्यभार को ग्रहण कर लेना चाहिए। सामान्यतः, कार्यभार ग्रहण करने की अवधि को बढ़ाने के किसी भी प्रकार से अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) एलआरए द्वारा कार्य करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद, उसे कोई भी कार्य सौंपे जाने से पहले, एबीएमपी के साथ एक अनुबंध करने के लिए कहा जाएगा; इस अनुबंध में एक गोपनीयता खंड भी शामिल होगा, जिसमें कार्य से संबंधित नियम और शर्तों का विस्तृत विवरण दिया गया होगा।

(ड़) एबीएमपी के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले और उनके अतिरिक्त, एलआरए द्वारा किए गए अनुबंध के उल्लंघन को, अनुबंध के तहत किए गए करार को समाप्त करने का एक पर्याप्त आधार माना जा सकता है; और इसके अलावा, ऐसे एलआरए को एबीएमपी के साथ भविष्य में किसी भी करार से वंचित भी किया जा सकता है।

(च) इस संविदात्मक कार्य से एलआरए को, नियमित नियुक्ति या कार्य-अवधि के बाद भी कार्य जारी रखने का कोई अधिकार या दावा प्राप्त नहीं होगा। एलआरए को एबीएमपी में नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही समझा जाएगा।

(छ) कोई भी एलआरए, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर समनुदेशन त्यागना चाहता है, उसे एबीएमपी के कार्यालय को कम से कम छह सप्ताह का पूर्व में नोटिस देना आवश्यक होगा।

**(ii). आयु और राष्ट्रीयता:-**

(क) आवेदन जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि को, उम्मीदवार की आयु 21वर्ष से कम और वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35

(ख) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

**(iii). पात्रता मानदंड:-**

**क. शैक्षिक योग्यता [अनिवार्य]:-**

(क) उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री (जिसमें 10+2+3+3 या 10+2+5 पैटर्न के तहत कानून में एकीकृत डिग्री कोर्स भी शामिल है) होनी चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर

कम से कम 50% अंक प्राप्त हों, ताकि उसे किसी भारतीय न्यायालय में अधिवक्ता या अटॉर्नी के रूप में प्रवेश मिल सके।

(ख) केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं, जिन्होंने अपने कोर्स की अवधि के भीतर अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं;

(ग) उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कौशल होना चाहिए।

(घ) उम्मीदवार के पास शोध और विश्लेषणात्मक कौशल, तथा लेखन क्षमता होनी चाहिए; इसमें ईएससीआर, मनुपत्र, एससीसी ऑनलाइन, केसमाइन आदि जैसे विभिन्न सर्च इंजन/प्रक्रियाओं से वांछित जानकारी प्राप्त करने की क्षमता भी शामिल है।

**टिप्पणी:** जो उम्मीदवार कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कोई अन्य डिग्री या प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिन्हें 'रिसर्च एसोसिएट' के तौर पर काम करने की संभावित अवधि के दौरान किसी अन्य स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है, वे 'विधि अनुसंधान सहायक' के पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

**ख. अनुभव (वांछनीय):-**

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी अन्य ट्रिब्यूनल/कोर्ट में न्यायिक या कानूनी कार्य का 3 वर्ष का अनुभव वांछनीय होगा।

**(iv). अयोग्यताएँ:-**

(क) किसी भी उम्मीदवार को कहीं और मानदेय या भुगतान के आधार पर नियुक्त या कार्यरत नहीं होना चाहिए।

(ख) किसी भी उम्मीदवार का किसी ऐसे आपराधिक मामले में शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वह लंबित हो या जिसमें उसे दोषी ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता (moral turpitude) से जुड़ा कोई अपराध शामिल हो।

(ग) किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया, राज्य बार काउंसिल, संस्थानों अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।

**(v). चयन प्रक्रिया:-**

(क) प्रशासनिक अधिकारी, एबीपीएम के माध्यम से एक रिक्ति परिपत्र प्रकाशित करेगा, जिसमें संविदा के आधार पर एलआरए के लिए मौजूदा और संभावित रिक्तियों की संख्या का उल्लेख होगा।

(ख) एलआरए के पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) एबीएमपी बिना किसी पूर्व सूचना के, रिक्ति परिपत्र या विज्ञापन के अन्य नियमों और शर्तों को रद्द करने, बदलने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(घ) अन्य सभी मामले, जिनका उल्लेख उक्त रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से नहीं किया गया है, का निर्णय नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ङ) ऐसे आवेदन एबीएमपी (https://abmp.in) वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में किए जाएंगे, और इनके साथ उन दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न होनी चाहिए, जिनका उल्लेख उसमें किया गया है।

(च) योग्य उम्मीदवारों को सूचित की गई तिथि, समय और स्थान पर अपने स्वयं के व्यय पर मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

(छ) चयन प्रक्रिया का संचालन माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा नामित सदस्यों की चयन समिति, अथवा उनकी ओर से अधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची माननीय पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी।

**नोट:-**

(i). अपात्र उम्मीदवारों के आवेदन, या जो उचित दस्तावेजों के बिना प्राप्त हुए हों, अथवा जो निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए हों, उन्हें बिना किसी सूचना के तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा, और इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii). यदि साक्षात्कार से पहले या बाद, किसी भी चरण में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, या उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो एलआरए के लिए उसकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना या आगे की कार्रवाई के लिए रद्द कर दी जाएगी।

**(vi). प्रतीक्षा सूची पैनल:**

(क) एबीएमपी, एलआरए के लिए एक अलग प्रतीक्षा सूची पैनल तैयार करेगा और उसे बनाए रखेगा; और कथित पैनल में उम्मीदवारों की संख्या उतनी होगी, जितनी एबीएमपी आवश्यक समझेगा।

(ख) प्रतीक्षा सूची पैनल में शामिल उम्मीदवारों को आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जा सकता है, और उन्हें समनुदेशन अनुबंध दिया जाएगा।

## (vii). विधि अनुसंधान सहायक को सौंपे गए ड्यूटी और उत्तरदायित्व:-

विधि अनुसंधान सहायक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एबीएमपी के माननीय पीठासीन अधिकारी और माननीय सदस्य(सदस्यों) को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करे। एलआरए के ड्यूटी और दायित्वों में निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी:

(क) केस फ़ाइलों को पढ़ना, केस की तैयारी करना जिसमें केस का सारांश और ) (नोट्स शामिल हैं, और घटनाओं का कालक्रम तैयार करना;

(ख) एलआरए , एबीएमपी के समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों के तथ्यों और कानून पर, तथा उन मामलों पर जिनके लिए उसे यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, शोध करेगा। एलआरए , कानून से जुड़े सवालों पर मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में—जैसे कि क़ानून, प्रस्ताव, लेख आदि के माध्यम से—शोध करेगा, और इस शोध के परिणामों की रिपोर्ट उस माननीय पीठासीन अधिकारी/माननीय सदस्य(सदस्यों) को देगा जिसके साथ वह करार हुआ है; यह रिपोर्ट आवश्यकतानुसार मौखिक या लिखित रूप में दी जाएगी। ऐसा करते समय, एलआरए को इसमें शामिल कानून के विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं और आयामों का विश्लेषण करना होगा।

(ग) केस लॉ, लेख और शोध-पत्रों सहित शोध कार्य करना, तथा निर्णयों की तैयारी, उनमें सुधार और संपादन में सहायता करना।

(घ) एलआरए , एबीएमपी की लाइब्रेरी या किसी अन्य लाइब्रेरी में अथवा इंटरनेट के माध्यम से आवश्यक शोध करेगा/करेगी, और उसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा विशेष रूप से एबीएमपी के महत्वपूर्ण निर्णयों से स्वयं को अद्यतन रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह संबंधित माननीय पीठासीन अधिकारी/सदस्य(गण) को अधिकतम सहायता प्रदान करने में सक्षम हो सके।

(ङ) एलआरए का यह ड्यूटी होगा कि वे न्यायालय में उपस्थित हो, वकील की दलीलों के नोट करें और उद्धरणों पर शोध करे।

(च) एलआरए उद्धरणों का सत्यापन करेगा। वे अंतिम आदेश में निर्धारित उद्धरणों की सत्यता का भी सत्यापन करेगा, तथा केस फ़ाइलों का रखरखाव एवं उन्हें व्यवस्थित करेगा।

(छ) शोध या अकादमिक पत्रों की तैयारी, भाषणों के मसौदे तैयार करना, तथा महत्वपूर्ण सम्मेलनों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना;

(ज) अदालती प्रक्रियाओं से अवगत रहें, जैसे—विभिन्न श्रेणियों के मामलों को दायर करने की विधि, कानून के प्रावधान, तथा मामलों को दायर करने से पहले और बाद की उनकी स्थिति आदि।

(झ) सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रदान करें;

(ञ) किताबों, दूसरे रिसर्च पेपर्स और मटीरियल का मेंटेनेंस और ऐसे दूसरे काम जो माननीय पीठासीन अधिकारी/सदस्यों, जिनसे एलआरए जुड़ा हुआ है, द्वारा समय-समय पर सौंपे गए हों; और

(ट) माननीय पीठासीन अधिकारी या सदस्य (सदस्यों) के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य करना।

**(viii). ड्यूटी के घंटे/छुट्टी:-**

(क) यह एबीएमपी के कार्यालय में एक पूर्णकालिक नौकरी है। एलआरए को माननीय पीठासीन अधिकारी या सदस्य के आवासीय कार्यालय में भी (सदस्यों) उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है।

(ख) एलआरए अपने ड्यूटी के निर्वहन में समय की पाबंदी बनाए रखेंगे।

(ग) एलआरए को 8 दिनों की छुट्टी दी जाएगी, जिसे माननीय पीठासीन अधिकारी या सदस्य (सदस्यों) द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जिनके साथ वे संलग्न हैं।

**(ix). पारिश्रमिक:-**

(क) प्रत्येक एलआरए को उसके कार्य के लिए प्रति माह रु. 65,000/- (केवल पैंसठ हज़ार रुपये) का समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

(ख) एलआरए किसी अन्य भत्ते या सुविधा का हकदार नहीं होगा।

**(x). प्रैक्टिस करने या रोज़गार अपनाने पर रोक:-**

(क) अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान, कोई भी एलआरए किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वे एबीएमपी में एलआरए के रूप में अपना समनुदेशन जारी रखता है।

(ख) एलआरए अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान, किसी भी प्रकार का कोई भी रोज़गार या कार्य—चाहे वे पूर्णकालिक हो या अंशकालिक—करने का हकदार नहीं होगा।

(ग) एलआरए , एलआरए के रूप में अपना कार्यभार छोड़ने के बाद तीन वर्ष की अवधि तक, उस माननीय पीठासीन अधिकारी/सदस्य(सदस्यों) के समक्ष प्रैक्टिस करने से विरत रहेगा, जिसके साथ वे संबंधित थे।

**(xi). विधि अनुसंधान सहायक का आचरण:-**

(क) प्रत्येक एलआरए को अपनी समनुदेशन अवधि के दौरान कर्तव्यनिष्ठा और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना होगा। इसके साथ ही, एलआरए को अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुरूप, अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी के उच्च मानकों को भी बनाए रखना होगा।

(ख) इसी प्रकार, समनुदेशन की अवधि के दौरान और हर समय, एलआरए माननीय पीठासीन अधिकारी/सदस्य द्वारा उसे सौंपे गए कार्य के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। वे इस समनुदेशन के कारण उसके संज्ञान में आने वाले मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि कागज़ों को संभालने में उसकी लापरवाही, या दूसरों के साथ उसकी चर्चाओं, या किसी अन्य तरीके से कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ लीक न हो।

(ग) एक एलआरए, भारतीय दंड संहिता और भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उन प्रावधानों द्वारा शासित होगा, जो किसी भी लोक सेवक पर लागू होते हैं।

**(xii). विधि अनुसंधान सहायक के ड्रेस कोड:-**

एलआरए , बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के भाग VI के अध्याय IV के अंतर्गत निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करेगा।

**(xiii) वचनबंध –**

एलआरए , अपनी नियुक्ति स्वीकार करने पर, लिखित रूप में यह वचन देगा/देगी कि वे ऊपर (vii) से (xii) तक दिए गए नियमों का पालन करेगा/करेगी; और विशेष रूप से, वे यह वचन देगा/देगी कि वे अपने ड्यूटी का पालन पूरी लगन और अनुशासन के साथ करेगा/करेगी, तथा अपने ड्यूटी के निर्वहन के दौरान उसके संज्ञान में आने वाले सभी मामलों और जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखेगा/रखेगी।

4. **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि:** इच्छुक उम्मीदवार https://abmp.in/online-Vacancy लिंक के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी उम्मीदवार निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई जानकारियाँ सही-सही भरें; साथ ही, अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, और अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव से संबंधित दस्तावेज़ भी अपलोड करें।

5. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, 17:00 बजे तक है।

**नोट: एबीएमपी में, डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।** यदि किसी ऐसे माध्यम से कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी।

6. साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। एबीएमपी केवल लघु सूचीपत्र किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

रणधीर

(रणधीर कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी